an>

Title: Regarding reported cases of fraudulent dealing by builder mafias in the country.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, दिल्ली एनसीआर समेत सभी छोटे-बड़े जिलों में, आपकी जानकारी में है कि आज देश चाहे वह भुनेश्वर हो, जबलपुर हो या भोपाल हो, एक सौ शहरों में कम से कम 50 लाख से ज्यादा फ्लैट्स खाली हैं। वÂािन 2011 की जनगणना के मुताबिक 1,47,00,000 घर गरीबों को चाहिए। 30-35 करोड़ लोगों के पास न जमीन है और न ही मकान है। 17,550 प्रोजैक्ट्स लाँच किए गए। इस देश में 17,000 बिल्डर्स हैं और अफसर, राजनीतिज्ञों और कुछ दलालों की मिलिभगत से किस कदर, लगातार एबीपी न्यूज़ और आज तक न्यूज़ चैनल, एबीपी न्यूज़ ने तो 14,500 लोगों के बारे में बताया है। किस तरह पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। लोग पूरी जिंदगी नौकरी का एक-एक पैसा एकत्र् कर सेवानिवृत हो गए। फिर भी उनके पास छत नहीं है। ऑपरेशन गृह में जेपी, सुपरटैक, गौड़, आम्रपाली जैसे बिल्डर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मैडम, आप यादव सिंह के बारे में जानती हैं। इंडिया बुल्स का मालिक श्री गहलोत, हीरानंदानी के निरंजन हीरानंदानी, लोधा ग्रुप के मंगल प्रभात, ओबराय रियल्टी के विकास ओबराय, पार्श्वनाथ के प्रदीप कुमार जैन, युनीटैक, गोदरेज, जेपी इफ्राटैक, डीबी रियल्टी, ओमैक्स, शोभा डैवलपर, एचडीआईएल, टाटा हाउसिंग, रहेजा कंस्ट्रक्शन, महिन्द्रा लाइफ, पेनिंसुएला लैंड पिरामल्स, प्रेस्टिज इस्टे के रजाक सत्तार, अंसल हाउसिंग के लाला चिरंजीलाल अंसल, मंटी रियल्टी के सुशील मंत्री।

18.31 hours (Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

सभापति महोदय, किस तरह रियल एस्टेट का जाल बिछा हुआ है। बिल्डरों द्वारा 5 से 10 साल तक मकान नहीं दिया जाना, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। परिणामस्वरूप लोग अपने ही मकान में अवैध तरीके से रह रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि रियल एस्टेट और दलालों का असर जीडीपी पर पड़ता है।

पटना से गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और छोटे शहर, आज जमीन दलाल, मैं न्यायिक जांच के साथ सीबीआई जांच की मांग करता हूं। हिन्दुस्तान में बिल्डर इस सरकार से मिलीभगत करके, पूंजिपतियों के साथ मिलीभगत करके, पॉलिटिशियन्स से मिलीभगत करके आम जनता, गरीबों को कैसे सता रहे हैं।...(व्यवधान) इस पर इन्क्वारी हो और बिल्डरों को जेल भेजा जाए। जिसके साथ सांठ-गांठ है, उसकी इन्क्वारी करके राजनीतिज्ञों को जेल भेजा जाए। यह बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं।

माननीय सभापति :

कुंवर पुष्पÂपेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।